

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :52/2023

निर्णय दिनांक : 22/04/2023

1. छीतर पुत्र श्री हुक्का 24/04/2023
  2. नानूराम पुत्र श्री हुक्का
  3. प्रकाशचन्द पुत्र श्री हुक्का
  4. बिरदीचन्द पुत्र श्री हुक्का
- समस्त जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण


बनाम

1. गंगाबक्स पुत्र श्री लाला
2. जयराम पुत्र श्री लाला
3. बालूराम पुत्र श्री लाला
4. जयकुमार पुत्र श्री नानूराम
5. बजरंग पुत्र श्री नानूराम
6. मदन पुत्र श्री नानूराम
7. श्रीमती गंगा पत्नी स्व० श्री नानूराम समस्त जाति कुम्हार निवासीयान ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न० 3101/427 रकबा 0.8050 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.8050 है० वाके ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भूअभि.नि. क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 13/06/2023 को श्रीमान उपतहसीलदार महोदय के आदेश कमांक/एल./आर/2023/592 दिनांक 08/06/2023 को ग्राम दहमीकलां के खसरा न० 3101/427 रकबा 0.8050 है० भूमि का सीमाज्ञान खसरा न० 433 गै०मु० चाह को मुश्तमल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया गया। खसरा न० 3101/427 के सीमाज्ञान करके प्रार्थी को सीमाओ के बारे मे अवगत करवाया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट पढ-सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी काश्तकार अप्रार्थी सख्या एक लगायत सात झगडालू किश्म के व्यक्ति है तथा आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है इस कारण प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहते है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य मे सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 3101/427 रकबा 0.8050 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.8050 है0 वाके ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भू अभि.नि. क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी सख्या आठ को फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर सुनी गई दौराने बहस प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाके ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भू अभि.नि. क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश जरिये पुलिस हिमदयाद के अप्रार्थी सख्या आठ को फरमाने की कृपा करे।

बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण की वाके ग्राम दहमीकलां पटवार हल्का दहमीकलां भू अभि.नि. क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा न0 3101/427 रकबा 0.8050 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.8050 है0 की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सभी की उपस्थिति में तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13/06/2023 के अनुसार पत्थरगढी की जावें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( हिम्मत सिंह )

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
जयपुर-द्वितीय, (सांगानेर)  
जयपुर